झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (विविध) 20 / 2022–

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सभी अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांकः–

विषयः– परिवाद–पत्रों के निस्तारण से सम्बन्धित सुझाव।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता से सम्बन्धित परिवाद–पत्र के जिला स्तर पर निस्तारण हेतु अपर समाहर्त्ता को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा परिवाद–पत्रों पर सुनवाई के पश्चात् आदेश पारित किये जा रहे हैं। आयोग स्तर पर प्राप्त जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के पारित आदेशों की समीक्षा की गई। मुख्यतः परिवाद–पत्रों में निम्न आरोप पाये जा रहे हैः–

1. डीलर द्वारा कई माह का अनाज नहीं देना ।
2. डीलर द्वारा कई माह के किसी एक योजना का अनाज देना एवं दूसरे योजना का अनाज नहीं देना।
3. डीलर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना या निर्धारित दर से अधिक मूल्य लेना अथवा दोनों।
4. डीलर द्वारा e-pos से निकलने वाला रसीद नहीं देना।
5. डीलर का दुकान निर्धारित समय पर नहीं खुलना एवं डीलर द्वारा अभद्रता करना।

परिवाद–पत्रों पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आयोग में प्राप्त आदेशों की समीक्षा के क्रम में निम्न तथ्य प्रकाश में आएः–

A. डीलर को आवंटन कम प्राप्त होने एवं उसके अनुरूप लाभुकों को कम खाद्यान्न मिलने सम्बन्धी कई परिवाद अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार के कुछ आवेदनों पर अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा पारित आदेशों की प्रति प्राप्त हुआ। सभी आदेशों में परिवादी को उनके अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध करा देने का उल्लेख किया गया है। कई आदेश में यह भी उल्लेखित है कि डीलर को आवंटन कम मिलने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा कई आदेशों में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को संपूर्ण आवंटन उपलब्ध कराने के भी निदेश दिए गए हैं।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

डीलर को दिये जाने वाले आवंटन की प्रकिया को देखा गया। डीलर को राशन दुकान से संबद्ध लाभुकों के अहर्ता के अनुरूप राशन का आवंटन किया जाता है। लाभुक द्वारा अनाज उठाव नहीं किये जाने की स्थिति में राशन डीलर के पास कुछ अनाज अवशेष रह जाता है। वस्तुतः इस अवधि में विभाग द्वारा PDS दुकानदारों के पास वितरण के बाद अवशेष अनाज के adjustment के लिए कम आवंटन दिया जा रहा था। डीलर को अपने पास सुरक्षित अवशेष अनाज को आवंटित अनाज में मिलाकर लाभुकों को उनके अहर्ता के अनुरूप अनाज दिया जाना है। सम्भवतः इस तथ्य से अवगत नहीं होने के कारण अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं। **मामले के सुनवाई के क्रम में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस तथ्य से अवगत नहीं कराना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में इस प्रकार के मामलों में आवंटन में कटौती के कारण को ध्यान में रखकर अंतिम आदेश पारित करना उचित होगा।**

B. कई माह का खाद्यान्न नहीं मिलने सम्बन्धी कई परिवाद अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को प्रेषित किए गए थे। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा ऐसे कुछ मामलों में पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुआ। सभी आदेशों में वर्णित है कि बकाया सभी माह के खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का लिखित बयान परिवादी द्वारा दिया गया है। यह भी कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि सभी बकाया खाद्यान्न परिवादी को उपलब्ध करा दिया गया है। उपरोक्त का उल्लेख करते हुए अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा मामले की कार्रवाई समाप्त की गई है।

"आहार पोर्टल" पर इन मामलों से सम्बन्धित कई राशन कार्ड के वितरण से सम्बन्धित प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया। कुछ मामलों में वितरण की ऑनलाईन प्रविष्टी पाई गई। कुछ मामलों में कुछ माह में वितरण का एवं कुछ माह में वितरण नहीं किए जाने के आंकड़े पोर्टल में दर्ज पाए गए। परंतु अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के सभी आदेशों में सम्बन्धित परिवाद–पत्र के आरोप से सम्बन्धित सभी बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए जाने का उल्लेख करते हुए मामले को समाप्त किया गया है।

इन मामलों में यह विचारणीय है कि जब लाभुक को खाद्यान्न नहीं मिला था, तब आहार पोर्टल पर प्रविष्टी कैसे पाया गया। सम्भवतः किसी सामग्री के उठाव के दौरान ही e-pos में डीलर द्वारा जो सामग्री नहीं दी गई उसके मात्रा की भी प्रविष्टी कर दी गई थी। ऐसे मामलों में डीलर पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। भविष्य में इस तथ्य से अवगत होकर आदेश पारित किया जाना उचित होगा। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रावधानानुसार लाभुकों को चालू माह एवं इससे एक माह पूर्व का ही अनाज दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अप्रैल माह का अनाज मई माह की अंतिम तिथि तक ही दी जा सकती है। अप्रैल माह का अनाज मई माह के बाद नहीं दिया जा सकता।ऐसे में कई माह का अनाज परिवादी को दे देने के प्रतिवेदन/कथन पर वाद की कार्रवाई समाप्त करना उचित नहीं है। **इन मामलों में यह भी देखा जाना चाहिए कि कई माह का चावल एक साथ कहाँ से दिया जा रहा**

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

है। ऐसे में इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–8 में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है।

निदेशानुसार प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु निम्न सुझाव दिए जाते हैं:–

i. परिवाद–पत्रों को गम्भीरता से पढ़ा जाए एवं तिथि निर्धारित करते हुए सम्बन्धितों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचित किया जाए। परिवादी को भी सुनवाई हेतु उपस्थित रहने के लिए नोटिस किया जाए।

ii. चूंकि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को एक माह के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जाना है। इसलिए उचित होगा कि कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु 7 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जाए।

iii. द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा में परिवाद–पत्र में अंकित आरोप का जवाब सुस्पष्ट हो इसलिए द्वितीय पक्ष को नोटिस के साथ परिवाद–पत्र की प्रति जरूर भेजा जाए।

iv. राशन कम देने अथवा किसी माह का राशन नहीं देने के आरोप हो, तो "आहार पोर्टल" से उस राशन कार्ड के पात्रता एवं वितरण की स्थिति सुनवाई के क्रम में जरूर देख लिया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0 – 498 राँची/दिनांकः– 03.06.2022

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/22
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261